139 लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों–मिनीरत्नों के लिए वित्तीय और प्रचालनात्मक स्वायत्तता।

सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने की नीति के उद्देश्य के अनुसरण में सरकार ने नीचे दिए गए और बाद में इस ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार पात्रता मानदण्ड और दिशानिर्देशों के अधीन लाभ कमाने वाले लोक उद्यमों को अधिक स्वायत्ता देने और शक्तियों को प्रत्यायोजन करने का फैसला किया है।

2. पात्रता और वर्गीकरण

2.1 श्रेणी–I लोक उद्यम :

ऐसे लोक उद्यम जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में निरंतर लाभ प्राप्त किया हो पात्र होंगे, तीन वर्षा में से कम से कम किसी एक वर्ष में कर से पूर्व लाभ 30 करोड़ रूपए या उससे अधिक होना चाहिए और उनका निवल लाभ घनात्मक होना चाहिए।

2.2 श्रेणी– I I लोक उद्यम :

लोक उद्यम जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में निरंतर लाभ प्राप्त किया हो और जिनका निवल लाभ धनातमक हो, पात्र होंगे।

2.3 ये लोक उद्यम अधिक प्रत्यायोजित शक्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे बशर्ते कि उन्होंने सरकार से लिए गए किसी ऋण/ऋण के ब्याज की चुकौती में चूक न की हो।

2.4 ये लोक उद्यम बजटीय समर्थन या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे।

2.5 लोक उद्यम विभाग के तारीख 9 अक्तूबर,1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इन लोक उद्यमों के बोर्ड को बढ़ी हुई प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग से पहले प्राथमिक कार्रवाई के रूप में तीन गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल करके बोर्ड को पुनर्गठित करना होगा।

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यह फैसला करेगा कि बढ़ी हुई शक्तियों को प्रयोग करने से पहले लोक उद्यम श्रेणी–I/श्रेणी–II कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा करता है अथवा नहीं।

3. पात्र लोक उद्यम के बोर्ड निम्नलिखित विषयों पर निर्णय लेने का प्राधिकार रखते हैं :–

3.1 पूंजीगत व्यय

3.1.1 श्रेणी–I में लोक उद्यमों के लिए: नए प्रोजेक्टों, आधुनिकीकरण, उपस्करों आदि की खरीद पर पूंजीगत व्यय करने के लिए निर्धारित सीमा 300 करोड़ रूपए या उनके निवल मूल्य के बराबर राशि, जो भी कम हो, है। इसके लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

3.1.2 श्रेणी–II में लोक उद्यमों के लिए: नए प्रोजेक्टों, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि पर अधिकतम 150 करोड़ रूपए या उनके निवल मूल्य के 50%, जो भी कम हो, के समतुल्य राशि पूँजीगत व्यय के रूप में खर्च की जा सकती हैं जिसके लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

3.2 संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियाँ और विदेशों में कार्यालय

3.2.1 श्रेणी–I में लोक उद्यमों के लिए: भारत में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियाँ इस शर्त के साथ स्थापित करने के लिए कि लोक उद्यम का इक्विटी निवेश किसी एक प्रोजेक्ट में अधिकतम 100 करोड़ रूपए होना चाहिए, किसी एक प्रोजेक्ट में लोक उद्यम का निवेश उसके निवल मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए या सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों को मिलाकर लोक उद्यम का निवेश उसके निवल मूल्य के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। विदेशों में सहायक कंपनियाँ स्थापित करने और कार्यालय खोलने का कार्य प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति से किया जाएगा।

3.2.2 श्रेणी–II में लोक उद्यमों के लिए: भारत में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों की स्थापना इस शर्त के साथ की जाएगी कि लोक उद्यम एक प्रोजेक्ट में अधिकतम 50 करोड़ रूपए तक का ईक्विटी निवेश कर सकता है, एक प्रोजेक्ट में लोक उद्यम का निवेश उसके निवल मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए और सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों को एक साथ मिलाकर लोक उद्यम का निवेश उसके निवल मूल्य के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। विदेशों में सहायक कंपनियों की स्थापना और कार्यालय खोलने का काम प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति से किया जाए।

3.3 प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और नीतिगत गठबंधन

3.3.1 दोनों श्रेणियों के लोक उद्यमों के लिए: प्रौद्योगिकी लोक उद्यम और नीतिगत गठबंधन करने के लिए और खरीद कर या किसी अन्य व्यवस्था से प्रौद्योगिकी और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय–समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

3.4 मानव संसाधन विकास की स्कीम

3.4.1 दोनो श्रेणियों के लोक उद्यमों के लिए : कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्कीम आदि से संबंधित स्कीमों को तैयार करना और लागू करना।

[टिप्पणी: यदि किन्हीं आपवादिक और अप्रत्याशित स्थितियों में पैरा 3.1.1 और 3.1.2 में दी गई पूँजीगत व्यय की बढ़ी हुई संशोधित सीमा मौजूदा सीमा से कम हो जाती है तो सकल ब्लॉक परिकलन पर आधारित मौजूदा शक्तियाँ वैध बनी रहेंगी।]

4. विभिन्न एजेंसियों में निहित निर्णय लेने की मौजूदा शक्तियों में लोक उद्यमों को प्रस्तावित शक्तियों के प्रत्यायोजन को प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तन किया जाएगा और आवश्यक होने पर संबंधित विभाग द्वारा नियमों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, अनुच्छेदों/संस्था नियमावली आदि में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

5. उपर्युक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नलिखित शर्तों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन होगा :

5.1 प्रस्ताव लिखित रूप में पर्याप्त समय रहते निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसके साथ प्रत्याशित परिणामों और लाभों के संगत कारक और निर्धारक बातों का विश्लेषण भी दिया जाना चाहिए। यदि कोई जोखिम कारक हो तो उसे ध्यान में लाया जाना चाहिए।

5.2 ऐसे सभी प्रस्ताव प्रोफेशनल और विशेषज्ञों द्वारा या उनके सहयोग से तैयार किए जाने चाहिए जो पूँजीगत व्यय, निवेश या अन्य मामलों जिनमें अधिक वित्त या प्रबंध संबंधी वचनबद्धताएँ शामिल हैं, से संबंधित है और जो लोक उद्यमों की संरचना और कार्यप्रणाली पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं और उपयुक्त मामलों में वित्तीय संस्थानों या लब्ध प्रतिष्ठित उस विषय के विशेषज्ञ संगठनों से उनका मूल्यांकन करवाया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन को ऋण या ईक्विटी भागीदारिता के माध्यम से मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं को शामिल करके प्रमाणित भी करना चाहिए।

5.3 सरकार पर वित्तीय सहायता देने या आकस्मिक देयता वहन करने का कोई दायित्व नहीं आना चाहिए। ये लोक उद्यम बजटीय सहायता या सरकारी गारंटियों पर निर्भर नहीं होंगे।

5.4 दीर्घकालिक या बड़ी वित्तीय वचनबद्धताओं और विशेष तौर पर नए प्रोजेक्टों और संयुक्त उद्यमों के लिए निर्णय लेने से पूर्व आंतरिक और बजट–बाहय संसाधनों की स्थिति और बाह्य बजटीय संसाधन स्थितियों एवं अनुमानों का वास्तविक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

5.5 जब भी बड़े निर्णय लिए जाएं सरकारी निदेशक, वित्त निदेशक और संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक का उपस्थित रहना अनिवार्य है विशेष तौर पर जब निर्णय, निवेश, व्यय या संगठनात्मक पुनर्गठन/पूंजी की पुनः व्यवस्था के संबंध में लिए जाने हों।

5.6 ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय अधिमानतः एकमत से लिए जाने चाहिए।

5.7 यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर एकमत से निर्णय नहीं हो पाता है तो बहुमत से निर्णय लिया जा सकता है लेकिन कम से कम दो तिहाई निदेशक मौजूद होने चाहिए और इनमें वे भी शामिल हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। आपत्तियों, विसम्मितयों और अस्वीकार करने के कारण और निर्णय लेने के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यवृत्त में शामिल किया जाना चाहिए।

5.8 ये लोक उद्यम आंतरिक मॉनीटरिंग की पारदर्शी और प्रभावकारी प्रणाली स्थापित करेंगे और गैर–सरकारी निदेशकों की सदस्यता के साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित करेंगे।

6 प्रशासनिक मंत्रालय कृपया सरकारी निर्णय को इन उद्यमों की जानकारी में लाएं।

(लो.उ.वि. का.ज्ञा.सं. 11/36/97–वित्त, तारीख 9.10.1997)